पत्रांक–मं०मं०–01 / आर०–14 / 2008......58............... /

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 17 जनवरी, 2019

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठक के समय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव को उपस्थित रहने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) के भाग–II में मंत्रिपरिषद् की प्रक्रिया निर्धारित है। इसके नियम–20(6) का प्रावधान निम्नांकित है :–

"मामले से सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव / सचिव, बुलाये जाने पर, बैठक में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध रहेंगे।"

कभी–कभी मंत्रिपरिषद् की बैठक के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव के मुख्यालय में उपलब्ध नहीं रहने से कार्यावरोध उत्पन्न हो जाता है।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–20(6) में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा अन्य सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव गण से भी यह अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक के दौरान कार्यहित में वे अपने कार्यालय कक्ष में उपलब्ध रहेंगे।

विश्वासभाजन

16/1/2019

(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Cab I Systems\old file\Srikant.doc